CSIR-CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS
(COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)
RESEARCH CENTRE, PANTNAGAR
PO: DAIRY FARM, NAGLA-263 149
DISTRICT – UDHAM SINGH NAGAR, UTTARAKHAND, INDIA

CSIR-CIMAP

संख्या सीआरसी / पन्त / सा0–3(1) / 213

दिनांक 06 / 08 / 2021

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

संदर्भ : पत्राँक संख्या–510 / 12–1 हल्द्वानी, दिनाँकित 3 / 8 / 2021

विषय : Proposal for renewal of diversion of 115.79 hectare of forest land under forest (Conservation) Act 1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Lucknow, Field station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttarakhand

महोदय,

आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्राँक के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-जी0आई0–485 / 7–1–2002–800 / 2000 दिनाकित 15.06.2002 चाही गयी बाँछित सूचना आपव सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(राजेन्द्र चन्द्र पडलिया)
प्रभारी वैज्ञानिक

प्रतिलिपिः

1. प्रशासन नियंत्रक, सीमैप लखनऊ के सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. सचिव, निदेशक महोदय, सीमैप लखनऊ के सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. कार्यालय प्रति।

Recevd
6/8/21

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी

Mail: crcpant@cimap.res.in: Ph:05944-234445/9756601234, 235190,Tel.Fax: 234712

O/C

संलग्नक–1

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– जी0आई0–485 / 7–1–2002–800 / 2000 दिनांक 15.06.2002 द्वारा पूर्व में दी गयी सशर्त स्वीकृत अनुपालन आख्या निम्नवत है:–

1. वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नही हुआ है और ना ही होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी। प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जा रहा है अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नही।

2. प्रस्तावक विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित नही करेगा।

प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्वावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही किया है / ना ही करेगा।

3. प्रस्तावक विभाग के अधिकारी / कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नही पहुंचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोइ क्षति पहुचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, तो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा, प्रस्तावक विभाग द्वारा देय होगा।

प्रस्तावक विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी गयी है और ना ही पहुँचायेंगें। ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भूगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके प्रस्तावक विभाग सहमत है।

4. उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक किसी प्रस्तावक विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रस्तावक विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की अवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।

6/8/2021

प्रस्तावक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।

5. परियोजना क्षेत्र में अनुसंधान प्रयोजन हेतु उगाये गये पेड़ों का पातन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात एक निर्धारित योजना के तहत ही किया जा सकेगा।

वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड, वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

6. प्रस्तावक विभाग द्वारा लीज पर दी गयी वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा तथा वन भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य यथा–भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्य नही किये जायेंगे।

प्रस्तावक विभाग द्वारा लीज पर दी गयी वन भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य यथा–भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्य नही किये जायेंगे।

7. लीज पर दी गयी वन भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।

वन भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्षों का पातन नही किया गया है/ना ही किया जायेगा।

8. परियोजना के अधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों द्वारा वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रण न किया जाय।

लीज पर दी गयी वन भूमि पर परियोजना मे कार्यरत मजदूरों द्वारा वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रण नही किया गया है।

9. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

हस्तान्तरन वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही है।

-2

6/8/2024

10. परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुचाये इसके लिए प्रस्तावक विभाग ईधन लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईधन सामग्री उपलब्ध करायेगा।

इस सम्बन्ध में प्रस्ताव में प्रपत्र–32 में इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को केरोसीन/रसोई गैस आपूर्ति का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है (प्रस्ताव पृष्ट संख्या–40)।

11. प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लघंन के फलस्वरू0 0.86 एकड़ वन भूमि में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्राकं संख्या 4079/12–1 दिनांकित हल्द्वानी 0806.2011 द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार ड्राफ्ट संख्या 593449 दिनांक 24.06.2011 धनराशि रू0 17601/– को इस कार्यालय के पत्रांक संख्या सीआरसी/पन्त/सा–3(1)/242–43 दिनांक 24.06.2011 को अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि संरक्षण र्निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी नैनीताल के सूचनार्थ एवं अवश्यकीय कार्यवाही हेतु स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जा चुका है (छाया प्रति संलग्न–)।

12. वन भूमि पर खडे वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।

वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

13. प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तद्परान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नही पहुंचाया जायेगा।

प्रस्तावक विभाग द्वारा स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नही पहुंचाया जायेगा।

14. मा0 मंत्रि परिषद् के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/10/2002–सी0एक्स0 दिनांक 3.6. 2002 द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावक विभाग से वन भूमि का मूल्य नही

Pehadalia 6/8/2021

लिया जायेगा व पूर्व की भाँति 1 रूपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से लीज रेंट लिया जायेगा।

मा0 मंत्रि परिषद् के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/10/2002–सी0एक्स0 दिनांक 3.6.2002 द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावक विभाग को वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया गया है। प्रस्तावक विभाग भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अर्न्तगत कार्य करने वाली एक राष्ट्रीय संस्थान है जो भारत मे औषधीय एवं सगंध पौधों पर शोध एवं प्रसार का कार्य कर रही है अतः भविष्य मे भी यथावक प्रस्तावक विभाग से पूर्व की भाँति वन भूमि का मूल्य ना लिया जाय। लीज रेंट विभाग द्वारा भुगतान के लिए देय होगा।

15. प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्याः 198/7–जी–सी–89–3–89, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गई सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

पूर्व मे किये गये पट्टा विलेख के अतिरिक्त कोई अन्य पट्टा विलेख वन विभाग/प्रस्तावक विभाग के द्वारा नही किया गया है (पट्टा विलेख की छाया प्रति संलग्न–)।

16. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ तथा राज्य सरकार द्वारा वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समय–समय पर लगाये जाने वाली शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त आख्या से सम्बंधित मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–29) ऑनलाईन प्रस्ताव एवं प्रस्तुत किये गये मूल प्रस्ताव मे भी सम्मलित है (पृष्ट संख्या–35)।

Rcpadalia 6/8/2021

(राजेन्द्र चन्द्र पडलिया)
प्रभारी वैज्ञानिक

06/08/2021

-4

(40)

प्रपत्र - 32

परियोजना का नामः केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर को लीज पर दी गई वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को केरोसीन/रसोई गैस आपूर्ति का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, अनुसंधान केन्द्र में कार्यरत श्रमिकों को केरोसीन/रसोई गैस आपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जायेगी तथा वन को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुचाई जायेगी।

प्रयोक्ता एजेन्सी
प्रभारी वैज्ञानिक
SCIENTIST-IN-CHARGE
सीमैप संसाधन केन्द्र, पन्तनगर
CIMAP RESOURCE CENTRE, PANTNAGAR

155

Speed Post.

संख्या सी0आर0सी0/पन्त/सा–3 (I)/242843 दिनांक–24.6.2011

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण भूमि संरक्षण निदेशालय,
इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून

विषयः जनपद ऊधमसिंह नगर में केन्द्रीय औषधीय एवं संगध पौधा संस्थान, पन्तनगर को लीज पर दी गयी 115.79 हेक्टेयर वन भूमि के सम्बन्ध में।

संदर्भः प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्रांक संख्या 4073/12–1 हल्द्वानी दिनांक 08.06.2011

महोदय,

उपरोक्त पत्रांक के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि आप द्वारा वापस किये गये ड्राफ्ट को पुनः Compensatory Afforestation Fund, Uttaranchal A/c No.CA 1594 Payable at New Delhi के नाम बनाकर पुनः आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि बैंक ड्राफ्ट संख्या 593449 दिनांक 24.6.11 रू0 17601.00 को प्राप्त होने के उपरान्त पावती रसीद लौटती हुई डाक से इस कार्यालय को भेजने की कृपा की जाय।

सादर सहित धन्यवाद,

भवदीय,

ह0/-
(प्रभारी वैज्ञानिक)
24/6/11

संलग्नकः उपरोक्त ड्राफ्ट।

प्रतिलिपिः

प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी नैनीताल के सूचनार्थ एवं आवश्यकीय कार्यवाही हेतु।

ह0/-
(प्रभारी वैज्ञानिक)
24/6/11

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

रु. 50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध हैं।
INSTRUMENTS FOR RS. 50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED VALID FOR SIX MONTHS ONLY

Branch: [illegible] UAN
/CODE No: 02567
No. 05945-268052

Payee Only

मांग ड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

दिनांक /DATE: 24/06/2011
Key: PUDBET
Sr. No: 540219

9
8
7
6
5
4
3
2
1

मांगने पर ON DEMAND PAY COMPENSATORY AFFORESTATION- FUND UTTA AC NO-CA1594 N DELH*** या उनके आदेश पर OR ORDER

OMPENSATORY AFFORESTATION- FUND UTTA. AC NO-CA1594 N DELH**

रु Rs. 17601 पै Ps. 00

AMOUNT BELOW 17602(1/5)

रुपये RUPEES

ONE	SEVEN	SIX	ZERO	ONE
T'THDS	THOS	HUNDS	TENS	UNITS

PAISE ZERO ONLY

अदा करें।
मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH:SERVICE BRANCH, NEW DELHI
कोड क्र. /CODE No: 07687
No 000190593449 Key: PUDBET Sr. No: 540219

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / AUTHORISED SIGNATORY
(हस्ताक्षर नमूना क्र० / S.S. NO.

शाखा प्रबंधक / BRANCH MANAGER
(हस्ताक्षर नमूना क्र० / SS. NO. 2415)

⑈593449⑈ 000002000⑆ 000190⑈ 16

Cr m[illegible]

UTTAR PRADESH 40Rs.

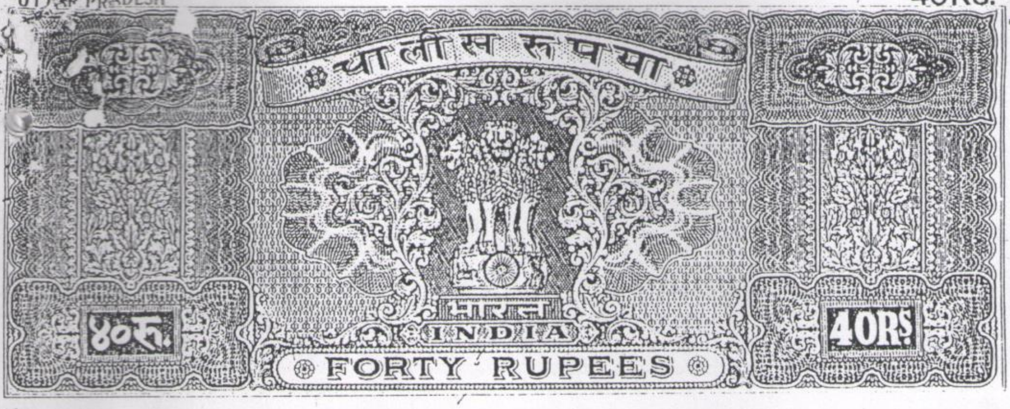

This lease is made on the 24th day of May one thousand nine hundred and Seventy two corresponding to Jyestha 4 Saka Samvat 1894 between the Governor of Uttar Pradesh (herein after called "the lessor") of the one part AND the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi a Society registered under the Societies Registration Act (hereinafter called "the lessee") of the other part:-

Whereas at the request of the Lessee, the Government of the Uttar Pradesh (hereinafter called the State Government) has agreed vide G.O.No. 4719/XIV-B, dated September 10,1964 read with G.O.No. 2672/XIV-B,145(179)/64 dated July 22, 1966, ~~and~~ G.O.No.2457/XIV-B-145(179)/64 dated 27.6.1970 and G.O. No. 783/XIV-2-145(179)/64 dated 12.5.72 to grant on lease to the Lessee ~~300~~ 286 acres of forest land in Khamia block of Tarai and Bhabar Division (Kichha Tahsil of district Nainital) fully described in the Schedule hereto and more clearly shown in the map attached for the purpose and on the terms and conditions herein after appearing.

NOW THIS DEED WITNESSES AS FOLLOWS:

Rent

1. In pursuance of the said agreement and in consideration of the rent hereinafter reserved and of the covenants on the part of the lessee hereinafter contained in, the Lessor hereby demisesunto the Lessee ALL THAT land measuring ~~300~~ 286 acres, fully described in the Schedule hereto and for greater clearness delineated or shown on the plan hereto annexed and thereon with its boundaries coloured in red TO HOLD the same unto the Lessee for a term of 25 years commencing

(प्रकाश कृष्ण)
आयुक्त एवं सचिव
वन तथा पर्यटन विभाग

Scientist-in-Charge,

(Contd..2.)

अनुभाग अधिकारी,
वन अनुभाग - 2
उ० प्र० सचिवालय, लखनऊ

UTTAR PRADESH 154 25 nP

INDIA भारत पचीस नये पैसे पचीस नये पैसे TWENTY FIVE NAYE PAISE

- (2) -

from the 3rd day of November, One thousand nine hundred sixty five.

PAYING THEREFOR during the said term the annual rental of Rs. ~~300/-~~ 286/- (Rupees ~~three hundred~~ two hundred and eighty six) in advance on or before the third day of November each year at the office of the Divisional Forest Officer, Tarai & Bhabar Division, Haldwani or at such other places as the State Government may from time to time appoint in this behalf.

2. The Lessee hereby covenants with the lessor as follows:-

(i) That the demised land shall be used for development of medicinal and aromatic plants, inclusive of rotational crops that may be required according to the established farm management practice.

(ii) That the lessee shall pay the annual rent aforesaid on the day and in the manner herein before appointed.

(iii) That the Lessee shall not sublet, sell or otherwise transfer the said land or any part thereof or the constructions made thereon without first obtaining the consent in writing of the State Govt. and if the Lessee commits a breach of this condition, the Lessor shall be at liberty to terminate this lease, and to re-enter on the land and the buildings constructed thereon without payment of any compensation therefor.

(4) That the lessee shall during the term of the lease at all times maintain the said premises, the buildings constructed thereon and the approaches thereto in good condition and in a state of good repair and to the satisfaction of the Lessor.

(5) That the demised land shall be put to use for the said purpose within one year from the date of this deed.

That the land will be utilized for the specific purpose, for

(Contd

(प्रकाश कृष्ण)
आयुक्त एवं सचिव
वन तथा पर्यटन विभाग

Accounts Officer
CIMPO

Scientist-in-Charge,
Central Indian Medicinal
Plants Organisation, Lucknow.

(प्रकाश कृष्ण)
आयुक्त एवं सचिव
वन तथा पर्यटन विभाग

AR PRADESH 25 nP

INDIA

पचीस नये पैसे पचीस नये पैसे

भारत

TWENTY FIVE NAYE PAISE

which the lease has been granted and it will revert to the Forest Department, U.P. if not utilized by the Lessee for the aforesaid purpose or if not required by the lessee. In case the land is not required for the said purpose, the lessee shall on demand remove therefrom all buildings, structures and fixtures and all other property therein and thereon leaving the demised premises in fully repaired and good condition, and in default of removal as aforesaid all the said buildings and fixtures may be removed at the cost of the lessee or the land may be re-entered upon alongwith such building and fixtures and structures etc.

(7) The lessee shall render free advice to the Forest Department, U.P. in all aspects of medicinal herbs and shrubs etc.

(8) That the lessee shall fence the demised area at its cost as and when directed by the State Government.

(9) That the Lessee shall take every precaution that no fire spreads in the forests from the demised premises and that in the event of fire breaking out in any contiguous forest from whatever cause arising, the Lessee, its servants and other employees shall at once on being required by Forest Officers so to do, proceed to the place of fire and do their best to extinguish it.

(10) That the Lessee shall be responsible for the action of its men, servants, agents, travellers who may stay on the demised premises if they commit any breach of forest laws.

Scientist-In-Charge,
Central Indian Medicinal

Accounts Officer
CIMPO

(Contd...4.)

Provided always and these presents are executed on this express condition that if and when ever the said rent or any part thereof shall be in arrear and unpaid for a period of one month whether the same shall have been lawfully demanded or not or if there shall be a breach or non-observance of any of the covenants by the Lessee herein contained, the Lessor, notwithstanding the waiver of any cause or right of re-entry, may re-enter upon the demised premises and expel the lessee and all occupiers of the same therefrom and this demise shall absolutely determine and the Lessee shall forfeit all rights to remove or recover any compensation for any buildings erected by it on the demised premises.

6th page It is hereby further agreed between the parties as follows:-

(a) That the lessor will at the request and cost of the Lessee at the end of the said term of years and so on from time to time therefter at the end of the each successive term of years that may be granted execute to the Lessee a new lease of the said premises by way of renewal for the terms of twentyfive PROVIDED ALWAYS that such renewal terms of years as may be granted shall not with the original terms of years exceed in the aggregate the period of seventy-five years.

(b) That in the event of the land demised hereunder being required by the State Government for a public purpose or for its own purposes (of which matter the State Government will be the sole judge) the Lessor shall have the option to determine this lease on giving one years notice in writing to the Lessee and the lease shall determine on the expiry of one year from the date of the notice.

(c) That the Lessee shall have the option to determine this lease by giving one year's notice in writing to the Lessor.

(d) That upon the expiration of this lease or upon sooner determination thereof under sub-clause (b) or (c) above the Lessee shall deliver

(प्रकाश कृष्ण)
आयुक्त एवं सचिव
वन तथा पर्यटन विभाग

Accounts Officer
CIMPO

Scientist-in-Charge,
Central Indian Medicinal
Plants Organisation, Lucknow.

(Contd...5.)

अनुभाग अधिकारी,
वन अनुभाग - 2
उ० प्र० सचिवालय, लखनऊ

151

up possession of the demised premises to the Lessor and shall with all reasonable despatch within the time fixed by the Conservator of Forests, U.P. Western Circle (or any other officers appointed by the State Government in this behalf) by a notice in writing, remove therefrom all buildings, structures and fixtures and all other property therein and thereon leaving the demised premises in fully repaired and good condition failing which all buildings, structures and fixtures and all other property left on the demised premises may be removed at the cost of the lessee or the land may be re-entered upon alongwith such buildings, structures etc.

(e) That the lessee shall not construct buildings without prior approval of the Conservator of Forests U.P. Western Circle.

(f) That every dispute, difference or question which may at any time arise between the parties hereto or any person claiming under them, touching or arising out or in respect of this deed or the subject matter thereof shall be referred to the sole arbitration of the Secretary to Government, U.P. Law Department whose decision thereon shall be final and binding on the parties hereto. The arbitrator may from time to time with the consent of the parties enlarge time for making and publishing the award.

(g) That this is a transfer for the purpose of the Government grants Act, 1895 as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh.

4. The expressions "the Lessor" and "the Lessee" herein before used shall unless such an interpretation be inconsistent with the context include in the case of the former his successors and assigns and in the case of the latter its successors and permitted assigns.

IN WITNESS WHEREOF.

(Contd...6.)

...... Officer
CIMPO

Scientist-in-Charge,
Central Indian Medicinal
Plants Organisation, Lucknow.

(प्रकाश कृष्ण)
आयुक्त एवं सचिव
वन तथा पर्यटन विभाग

01/3/94

For and on behalf of the Lessor and for and on behalf of the Lessee have signed this deed on the day and year first above written.

The schedule herein before referred to.

Name of block	Tehsil	District	Acreage	Description of the boundary
Khamia block	Kicha	Nainital	286 ~~300~~ acres	East:-Banskhera Nala West:-Haldwani-Bareilly Railway Line. North:-1956 plantations of 572 acres. South:-Reserved Forest Khamia block.

The boundary is demarcated by B.P.1 to 25.

Signed by
(राम कृष्ण)
आयुक्त एवं सचिव
वन तथा पर्यटन विभाग

For & on behalf of the Lessor.

For & on behalf of the Lessee

Scientist-in-Charge,
Central ... Medicinal
Plants Organisation, Lucknow.

Accounts Officer
CIMPO

(J.S. JOHAR)
Section Officer
Central Indian Medicinal
Plants Organisation, LUCKNOW.

(B.C. GULATI)
Officer-in-charge
C.I.M.P.O. (NZ.) Haldwani

Witness

1. R.C. Saxena, Forest (B) Deptt. Civil Sectt., Lko.
2. M.N. Banerji, Forest (B) Deptt. Civil Sectt., U.P. Lucknow

1.

2.

01/3/94

(35)

प्रपत्र-29

<u>परियोजना का नाम</u>:– केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, पन्तनगर को लीज पर दी गयी वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना।

:<u>मानक शर्तें</u>:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नही होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध मे बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओ से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौडी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशो का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गो को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निरस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निरस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षो के प्रतिकार मे याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्ते याचक विभाग को मान्य है।

प्रयोक्ता एजेंसी
प्रभारी वैज्ञानिक
SCIENTIST-IN-CHARGE
सीमैप संसाधन केन्द्र, पन्तनगर
CIMAP RESOURCE CENTRE, PANTNAGAR

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 510 / 12–1 हल्द्वानी, दिनांक 3/8/2021

सेवा में,

प्रभारी केन्द्रीय औषधीय एवं
स्कन्ध पौध संस्थान,
पन्तनगर, नगला
जनपद–ऊधमसिंह नगर।

विषयः– Proposal for renewal of diversion of 115.79 heactare of forest land under Forest (Conservation) Act,1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Luknow fields station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttarakhand.

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8–41 / 2000–FC(Vol) date: 19 july 2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो आपको पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर कमियों के निराकरण करने के निर्देश दिये गये है जिनका निरकारण किया जाना आपेक्षित है। अतः उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–जी0आई0:–485 / 7–1–2002–800 / 2000 दि0–15.06.2002 द्वारा पूर्व में दी गयी सशर्त स्वीकृति की पूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर चाही गयी वांछित सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की जा सकें। सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्र एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश की प्रति आपको प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार–

भवदीय

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

पत्रांकः–510 / 12–1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

File No.8-41/2000-FC(Vol)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
****

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Raod, Aliganj
New Delhi – 110003
Dated: 19th July, 2021

To
The Secretary Incharge (Forest,)
Forest Department,
Government of Uttarakhand
Dehradun

Sub: Proposal for renewal of diversion of 115.79 hectare of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Lucknow field Station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttrakhand

Sir,

I am directed to refer to the Uttarakhand's online proposal no. FP/UK/Others/77955/2020 dated 28.05.2021 regarding above-mentioned subject. After scrutiny of the proposal submitted through online on **PARIVESH** portal of the Ministry, the following deficiencies are observed:

i. Detail of compensatory land made available in lieu of approval granted in the past needs to be provided by the State Government along with **KML/Shape** files and status of its notification under the IFA, 1927 as applicable, afforestation, etc. needs to be intimated by the State Govt.
ii. Details of NPV, if any realized from the user agency, in the past needs to be intimated by the State Govt. along with prescribed proforma for confirmation of the CA levied.
iii. Comments of the CWLW on the observation of the DFO regarding location of the area in **the Shivalik Elephant Reserve**.
iv. Status of compliance of conditions stipulated in the approval dated 15.06.2002 may be intimated by the State Govt.
v. Extant proposal is a non-site specific which can be taken up over non-forest land. The State Government also requested to submit its comments on whether alternative options have been explored to shift the facility to non-forest land.
vi. The State Govt. also to submit the details that in actually how much area is still used for non-forestry purposes.

2. Accordingly, you are requested to submit the above mentioned information at the earliest.

Yours faithfully,
19/07/2021

(Shrawan Kumar Verma)
Deputy Inspector General of Forests

Copy to:
1. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Uttarakhand, Dehradun. The Regional Officer, MoEF&CC, Integrated Regional Office Dehradun.
2. The Nodal Officer, (FCA), Forest Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. User Agency.
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEF & CC, New Delhi.
5. Guard File.